न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व वाद संख्या 01/2019

छोटी देवी व अन्य बनाम जावेद खान

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 92 (क) राज0 कास्त0 अधि01955 में

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1

आदेश दिनांक 10.12.2019

वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 92(क) राज0 कास्त0 अधि0 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत प्रारम्भिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 7 नियम 11 सपठीत धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी अभिभाषक द्वारा प्रति प्राप्त की । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया ।

प्रतिवादीगण के अभिभाषक के द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना में अंकित कथनों दौराते हुए निवेदन किया कि वादीगण द्वारा जो गोपी पुत्र रामा के वारिसान है के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 ए स्थाई निषेघाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण हेतु ग्राम लोहागल तहसील अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 1112, 1114, 1115,से 1117, 1153 से 1156 हेतु प्रस्तुत किया गया है। मिलान क्षॅत्रफल अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1193/1613 से 1193/1626 कुल रकबा 8–4–10 है जो कि वर्किग जमाबंदी में गोपी, सिंघा उर्फ हिंगा उर्फ रतनसिह, लक्ष्मण व किशन पुत्रगण रामा कि खातेदारी में अंकित है। उपरोक्त खातेदारान में शभू सिह पुत्र ठाकुर बलवन्त सिह को मुख्तयारनामा आम दिनांक 3.7.95 निष्पाद्वित किया गया एवं शभू सिह के द्वारा उक्त भूमि को भिन्न भिन्न भागो में जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.1.97 को श्रीमति राजकुमार उदावत, 19.10.95 को ओमप्रकाश अग्रवाल, 12.10.95 को भागचन्द सांखला, इसी दिनांक को राजेश चतुर्वेदी, 14.7.95 को महावीर प्रसाद एवं भवरलाल एवं 4.4.2007 को शभूराम एवं इसी दिनांक को राजू पुत्री गोपाल व इसी दिनांक को जोगाराम 26.7.95 को विघावती 5. 9.95 को जेठासिह इसीप्रकार 5.9.18 को किशनलाल पुत्र रहमान चीता एवं उक्त भूमि का संजय शर्मा पुत्र नन्दकुमार शर्मा को बेचान की गई इसके पक्ष

Scanned by CamScanner

में नामान्तकरण 220 दिनांक 5.9.2018 स्वीकृत किया एवं संजय शर्मा को 17.2.2011 को एवं 19.1.2011 को एवं 17.2.11, 13.12.2006 को बेचान कर दिया गया । सजय शर्मा एवं किशनलाल उपरोक्त वर्णित केतागण को जिन्होने पंजिबद्व विकय पत्र से कय किया गया है विवादित भूमि में हित निहित है उसके बावजूद वाद मं पक्षकार नही बनाया गया है। एवं जमाबंदी में अंकित व्यक्तियों को भी पक्षकार नही बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है। धारा 211 आर.टी.ए के तहत आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज योग्य है। विवादित भूमि पूर्व में ही उपरोक्तानुसार वादीगण के पूर्वज गोपी द्वारा बेचान की जाचुकी है बिना सक्षम न्यायालय पंजिबद्व को निरस्त कराये वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का समुचित अवसर दिऐ जाने के उपरान्त जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया ।

उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया वादीगण द्वारा जो गोपी पुत्र रामा के वारिसान है के द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 ए स्थाई निषेघाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण हेतु ग्राम लोहागल तहसील अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 1112, 1114, 1115,से 1117, 1153 से 1156 हेतु प्रस्तुत किया गया है। मिलान क्षॅत्रफल अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1193/1613 से 1193/1626 कुल रकबा 8–4–10 है जो कि वर्किंग जमाबंदी में गोपी, सिंघा उर्फ हिंगा उर्फ रतनसिह, लक्ष्मण व किशन पुत्रगण रामा कि खातेदारी में अंकित है। उपरोक्त खातेदारान में शभू सिह पुत्र ठाकुर बलवन्त सिह को मुख्तयारनामा आम दिनांक 3.7.95 निष्पाद्वित किया गया एवं शभू सिह के द्वारा उक्त भूमि को भिन्न भिन्न भागो में जरिये पंजिकृत विकय पत्र दिनांक 29.1.97 को श्रीमति राजकुमार उदावत, 19.10.95 को ओमप्रकाश अग्रवाल, 12.10.95 को भागचन्द सांखला, इसी दिनांक को राजेश चतुर्वेदी, 14.7.95 को महावीर प्रसाद एवं भवरलाल एवं 4.4.2007 को शभूराम एवं इसी दिनांक को राजू पुत्री गोपाल व इसी दिनांक को जोगाराम 26.7.95 को विघावती 5.9.95 को जेठासिह इसीप्रकार 5.9.18 को किशनलाल पुत्र रहमान चीता एवं उक्त भूमि का संजय शर्मा पुत्र नन्दकुमार शर्मा को बेचान की गई इसके पक्ष में नामान्तकरण 220 दिनांक 5.9.2018 स्वीकृत किया एवं संजय शर्मा को 17.2.2011 को एवं 19.1.2011 को एवं 17.2.11, 13.12.2006 को बेचान कर दिया गया । सजय शर्मा एवं किशनलाल उपरोक्त वर्णित केतागण को जिन्होने पंजिबद्व विकय पत्र से कय किया गया है विवादित भूमि में हित निहित है उसके बावजूद वाद मं पक्षकार नही बनाया गया है। एवं जमाबंदी में अंकित व्यक्तियों को भी पक्षकार नही बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है। धारा 211 आर.टी.ए के तहत आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार न बनाये जाने के कारण वादीगण का वाद पोषणीय नही है। जमाबंदी संवत

Scanned by CamScanner

2072–75 अवलोकन से साफ जाहिर है कि जमावंदी में अंकित सभी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है वादीगण खातेदार काश्तकार ही दर्ज नही है वाद बिना खातेदारी उदघोषणा मात्र स्थाई निषेघाज्ञा प्रस्तुत कियागया है जो विधि द्वारा वर्जित है। एवं आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज योग्य पाया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. में स्वीकार किया जाकर एवं वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने सें खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.12 15:32:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: